

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) .. 2015.5.5

अधिकारी :- विश्वाभित्र मीना RAS

उनवान

२१०४२५ ४७२१ बनाम सावित्री देवी (पति)

बाबत :- 103/17-03-2016 सु.प्र.अ.११५६६५१५

दस्ता नम्बर :- ७१५ (१०० RTA ५४ (१७५

पर्यय दिनांक:- ०२-०६-२०१७

वादी की ओर से श्रीम. व.सी. की व प्रतिवादी की ओर से -

की उपस्थिति में आज तारीख ०२-०६-२०१७ को विश्वाभित्र मीना (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम

निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती कि -  
प्राथमिक पक्ष (प.न- 233/1-05) पक्ष शाय गंगाधर) व. कोटकासिम प्रिया  
अपना निपटारा करे। न्यायालय पक्षीय स्थिति में यदि फलप्राप्ति  
का अतिरिक्त पक्ष कोतहीला उले। ठीक ठीक इन्फिर्मिटी देवापी से इस फाटप से  
पक्ष रहे। मैं जो प्राथमिक को इनके हिस ठीक नष्ट बदल नामों, नामों  
फैला को, ना ही प्राथमिकों के हिस हिस के फल फाटप में प्रकाशप व  
प्रकाशप पक्षों प्राथमिकों को फल हिस होने पर इनको जाली में कट्या  
पक्ष निपटारा वारों। श्रीम. व.सी. पर प्रकाशप फल (व)

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।  
यह आज तारीख ०२-०६-२०१७ को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विश्वामित्र मीना)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद प्रत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर के फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों को लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़			

